वर्ष 2014–15 शहरी विकास विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

(i) The particulars of organization, functions and duties.

परिचयः

हिमाचल प्रदेश मूलतः एक पहाड़ी क्षेत्र है । मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ अब शहरी क्षेत्रा तेजी से बढ़ रहें है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.56 लाख है, जिसमें से 89.96 प्रतिशत ग्रामीण हैं तथा 10.04 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। भविष्य में इस वृद्विक्रम के और तेज होने की सम्भावना के परिणाम स्वरूप और अधिक ग्रामीण क्षेत्रा शहरों की परिभाषा में सम्मलित हो सकते हैं । इससे स्थानीय स्वशासन के प्रशासन में नई चुनौतियां सामने आएगी । शहरीकरण की इस चुनौती का एक क्रमवद्व तथा समन्वित ढंग से सामना करना पड़ेगा । अतः शहरी प्रशासन को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करना आवश्यक होगा ।

संविधान के 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सरकार के तृतीय अंग का दर्जा दिया गया है जिसका उद्देश्य निम्नतम स्तर संस्थाओं में जनतन्त्रा/सत्ता का अधिकतर विकेन्द्रीकरण करना है । अन्ततः यह राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के मध्य विषयों के वितरण की पराकाष्ठा भी होगी ।

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के मार्ग दर्शन तथा नियन्त्राण के लिए शहरी विकास विभाग का प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार से हैः–

सचिवालय स्तरः

- सचिवालय स्तर पर शहरी विकास विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) के पूर्ण नियन्त्राण में कार्य कर रहा है ।

निदेशालय स्तरः

- निदेशालय स्तर पर शहरी विकास निदेशालय, निदेशक (शहरी विकास) के पूर्ण नियन्त्राण में कार्य कर रहा है ।

निदेशालय की भूमिका :

स्थानीय स्वायत विभाग की केन्द्रीय परिषद की सिफारिशों के अनुसार तथा शहरी जनसंख्या की बढौतरी की प्रवृति व विभिन्न योजनाओं द्वारा शहरी विकास को ध्यान में रखतें हुए राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के निदेशालय के गठन का निर्णय दूसरे राज्य अर्थात पंजाब, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, तामिलनाडू इत्यादि के आधार पर फरवरी 1986 में किया । शहरी विकास निदेशालय का कार्य क्षेत्रा निम्नलिखित है :–

♦ नियन्त्राक ;त्महनसंजवतद्ध के रूप में निम्नलिखित कार्यो का संचालन करना :

1	शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए अनुदान देना तथा कार्यान्वियन के लिए मार्ग दर्शन करना ।
2	शहरी स्थानीय निकायों में चल रहे विकासात्मक कार्यों का नियत समय पर निरीक्षण करना ।
3	नियमों के अनुसार अनुदानों का उपयोग सुनिश्चित करना ।
4	लेखा–परीक्षा तथा लोक लेखा समिति के पैरों के शीघ्र समाधान का प्रयत्न करना ।

5	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति की समय–समय पर जांच करना ।
6	कम लागत सफाई योजना का कार्यान्वयन, कम लागत स्वच्छता योजना के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को हाथ से पानी डाल कर सफाई रखने वाले शौचालयों में परिवर्तित करके मैला ढोने वाले सफाई कर्ताओं को उस कार्य से मुक्ति दिलवाना ।
7	शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की सेवाओं/सेवा सम्बन्धी अव्यवस्था में सुधार लाना ।
8	शहरी स्थानीय निकायों के अधिनियमो/नियमों/उपनियमों में संशोधन की सिफारिश करना ।
9	शहरी स्थानीय निकायों की कार्यवाही को नियमों तथा विनियमों के अनुरूप नियमित करना ।
10	शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय मामलों का निपटारा करना ।
11	पालिकाओं के वित्तीय साधन बढाने के लिये करों की संरचना की सुव्यवस्था करना ।
12	शहरी स्थानीय निकायों के सेवा निवृत कर्मचारियों के पैंशन केसों की छानबीन एवं पैंशन भुगतान आदेश जारी करना ।

यह निदेशालय राज्य सरकार का कार्यकारी अभिकरण है । अतः यह निदेशालय शहरी निकायों तथा राज्य सरकार के बीच एक सेतु की भूमिका अभिनीत करता है । भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं को बहुत से संवैधानिक, वैधिक तथा प्रशासनिक उतरदायित्व सौपे गये हैं । नगरपालिकाओं का उचित मार्ग दर्शन करने तथा उनके प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की देख–रेख के लिये निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग स्वीकृत है जिसका प्रशासनिक चार्ट **अनुबन्ध "क"** पर है :–

(ii) The Powers and duties of its officers

Director (Urban Development) - Overall Administrative and Financial control of the department.

Addl. Director (Urban Development) - To assist the Director (UD) in overall administration of Directorate and ULB's level and in the implementation of all planning/schemes/projects etc.

Joint Controller (F&A) - Overall control of Finance and accounts of department and to settle the pension/gratuity cases of retired employees of ULBs.

Executive Engineer (XEN) - **Overall control, supervision and implementation of development works being carried out by the ULBs and also to assist Director (UD), HP.**

Project Officer:- To contol, supervise and implement Centrally Sponsored Schemes such as JNNURM, RAY, SBM, PMAY, NULM, Smart City Projects and State Schemes such as Solid Waste Management etc. To keep liaison between State and Government of India

(iii) The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.

- **In the Directorate, the Director exercises the powers of the Head of Department. He is assisted by various officers of the Directorate in taking decisions/disposing of the normal workload of the department.**

- The duties to the various officers are assigned by the Director keeping in view the expertise of the officers. The files move to the Director

through the Addl. Director who is assisted by the concerned officers.

(iv) The norms set by it for the discharge of its functions.

- **The department follows the provisions contained in HPFR rules in all financial matters and other Government rules as adopted by the Government from time to time to deal with all administrative matters.**

- The department conducts Periodic inspections and quarterly/Zonal meetings/ workshops conferences etc. with the ULBs to exercise effective control, direction and monitoring of their working at ULB's level. The grants to the ULBs are Linked with the submission of UCs of development works/schemes & realization of House tax etc.

(v) The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control

Various Acts, rules, regulations and instructions are followed while functioning in different works and areas. A list in brief is as under:

Acts.

1. The H.P. Municipal Act, 1994
2. The H.P. Municipal Corporation, 1994
3. The H.P. Municipal Service Act, 1994
4. The H.P.Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery Act,1971)
5. The H.P. Slum Areas (Improvement and clearance) Act, 1979.
6. The H.P Urban Immovable Property Tax (Repealing) Act,1991
7. The H.P Municipality Disclosure Bill 2009.
8. The H.P.Urban Rent Control Act,1987

Rules

1. H.P. Municipal Election Rules, 1994.
2. The Himachal Pradesh (Delimitation & Reservation of Wards) Rules, 1994.
3. The H.P. Municipal (Reservation and Election to the office of President & Vice-President) Rules, 1995.
4. The H.P. Municipal Corporation, Election Rules, 2012
5. Himachal Pradesh Municipality Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules, 2000.
6. The R&P Rules for the different categories of Employees of Directorate and ULBs.
7. CCS & CCA Rules
8. HPFR & SR Rules
9. Medical re-imbursement, General leave, Leave Travel Concession , House Building Advance and CCS Leave Rules

Manuals

1. Office
2. Budget

(vi) A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control.

This office has normally the following kinds of documents/files in respect of Directorate and ULBs :

- Annual Administrative Report, Account Code of ULBs and Development Works Document
- Files /documents relating to Directorate level
- Personnel Information & Service Matters viz. Continuance, increments, leave a/c etc
- Annual Plan, Budget Estimates, Budget allocation,Excess and Surrender.
- Court cases i.e. CWP, Suits & OAs etc.
- Vidhan Sabha matters and CAG, PAC Paras.
- Files /documents relating to ULBs level.
- Personnel Information, creation of posts, seniority fixation, transfer, extension etc.
- Annual Income & Expenditure information from own income & GIA, Utilization Certificates of development works under GIA,Schemes and projects etc.
- Taxes, Fees and Allocation of Shops & Stalls by ULBs.
- Court cases i.e. CWP, Suits and files relating to resolutions need approval from Directorate.
- Allocation & release of funds under various schemes to the ULBs Expenditure under various schemes. Physical & Financial Progress alongwith utilization certificates.

(vii) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.

- A time bound Public Redressal System is available in the Department in each office and every level.

(VIII) A statement of the board, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meeting are accessible for public.

- Executive committee under National Urban Livilihood Mission (NULM).

- The Govt. of Himachal Pradesh vide its Notification No. UD-C(10)-1/2014-loose dated 08.12.2014 has constituted executive committee under National Urban Livilihood Mission (NULM) to supervise, review and monitor the implementation of National Urban Livilihood Mission (NULM) being implemented in the district level Urban Towns of the Pradesh.

Following is the composition of this agency :

Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh	Chairman
Addl. Chief Secretary(UD) to the Govt. of Himachal Pradesh.	Member

Pr. Secretary (Finance) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (R.D.) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (Labor & Emp.) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (S.J.& E.) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (Health) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (P.W.D.) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (F&C.S.) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (Edu.) to the Govt. of HP.	Member
State Level Bank Officers & Head of another nationalized banks	Member
The State representative of RBI-GoHP	Member
The Industries Dept. representative-GoHP	Member
The representative of SHGs/Federation(3)	Member
The State Officer-in-charge Technical Edu./Labor/Industry to the Govt. of HP.	Member
Representative of Ministry of Housing & UPA, GOI	Member
State Mission Director, NULM	Member
Sh. Sushant Kaprait, Councilor M.C. Shimla.	Member

(IX) High Powered Committee on State Level-Under Swacch Bharat Mission Govt. vide Notification No. UD-C(17)-5/2015 dated 23.01.2015 has constituted a high powered committee at state level being implemented in all the Urban Local Bodies of the State. Following is the composition of this committee:-

Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh	Chairman
Addl. Chief Secretary (UD) to the Govt. of Himachal Pradesh.	Member
Pr. Secretary (Finance) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (R.D.) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (I&PH) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (S.J.& E.) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (Health) to the Govt. of HP.	Member
Pr. Secretary (Env. S&T) to the Govt. of HP.	Member
Representative of Ministry of Housing & UPA, GOI	Member
Member Secretary, HP State Pollution Cont. Board.	Member
Director, Urban Development, HP	Member Secretary

(X) A Directory of its officers and employees.

S. No.	Designation	New Pay Scale		No of post	Special allowance, if any.
		Pay Band	Grade Pay		
1	Director	37400-67000	8700	1	
2	Additional /Joint/ Deputy Director	15600-39100	5400	1	

3	Executive Engineer	15600-39100	7600	1	
4	Joint Controller(F&A)	15600-39100	7800	1	
5	Assistant Engineer	15600-39100	6600	1	
6	Project Officer.	10300-34800	5400	1	
7	Supdt. Grade-1	15600-39100	5400	1	
8	Asstt. Town Planner	15600-34800	6600	1	
9	Jr. System Analyst-cum-Programmer	15600-39100	5700	1	
10	Personal Assistant	10300-34800	4800	1	(i) Spl. Allow. Rs. 300/- PM (ii) Conv. Allow. Rs. 200/- PM
11	Supdt. Grade- II.	10300-34800	4800	1	
12	Law Officer	10300-34800	4400	1	
13	Sr.Assistant	10300-34800	4400	4	
14	Junior Engineer	10300-34800	3800	2	
15	Statistical Assistant	10300-34800	4600	2	
16	Computer Operator	10300-34800	3800	1	
17	Jr. Scale Steno	10300-34800	3200	1	Spl. Allow. Rs. 100/- PM
18	Jr. Assistant /Clerk	10300-34800	3600/3200	10	
20	Driver	5910-20200	2000/2400	3	(i) Spl. Allow. Rs. 300/- PM (ii)Uni. Allow. Rs. 170/- PM
21	Peon	5920-20200	1650/1900	6	(i) Conv. Allow. Rs. 50/- PM (ii)Uni. Allow. Rs. 140/- PM
22	Chowkidar	4900-10680	1650	1	
	Total			**42**	

Staff position of Directorate (as on 31.3.2015)

Sl. No.	**Category of Post(s)**	**Number of sanctioned post(s)**	**Post(s) filled up**	**Vacant post**	**Remarks**
1	Director	1	1	0	
2	Addl Director	1	1	0	
3	Joint Contoller (F&A)	1	1	0	
4	Executive Engineer	1	1	0	
5	Superintendent Gr-I	1	1	0	
6	Assistant Town Planner	1	0	1	
7	Project Officer	1	1	0	
8	Assistant Engineer	1	0	1	
9	Jr.System Analyst-Cum Programmer	1	1	0	
10	Personal Assistant	1	1	0	
11	Superintendent Gr-II	1	1	0	
12	Law Officer	1	1	0	
13	Sr. Assistant	4	3	1	
14	Junior Engineer	2	1	1	Draughtsman on deployment basis
15	Statistical Assistant	2	2	0	
16	Computer operator	1	1	0	
17	Jr. Scale Stenographer	1	0	1	
18	Junior Assistant/ clerk	10	4	6	Out of 4 clerks one is on secondment basis
19	Driver	3	3	0	
20	Peon	6	5	1	
21	Chowkidar	1	1	0	

	Total	42	30	12	

(XI) The Monthly remuneration received by each of its officers and Employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Sr. No	Name of Officer/Official	Designation	Total emoluments as on March,2015 (in Rs.)
1.	Capt. J.M. Pathainia ,IAS	Director	118225/-
2.	Sh. Robin George,HAS	Joint. Director	63725/-
3.	Sh.B.R.Dadwal	XEN	75185/-
4.	Sh. Hira Mani Verma	Joint Controller (F&A)	76525/-
5.	Sh.D.R.PAL	Superintendent Gr. 1	60785/-
6.	Sh. Bheem Sen Thakur	Project Officer	76325/-
7.	Sh. P.K. Verma	Jr. System Analyst-cum-Programmer	65965/-
8.	Smt. Anjana Sushil	Personal Assistant	43925/-
9.	Sh. Kanwar Singh Sharma	Law Officer	58345/-
10.	Sh. Dharam Paul	Sr. Assistant	39485/-
11.	Sh. Amar	Sr. Assistant	43585/-
12.	Sh. Govind Ram Thakur	Sr. Assistant	35085/-
13.	Sh. Vijay Chauhan	Statistical Assistant	59745/-
14.	Sh. Rajendra Chauhan	Statistical Assistant	47525/-
15.	Smt. Niranjana Kotvi	Computer operator	44165/-
16.	Sh Ganga Ram	Sr. Assistant	35325/-
17.	Sh. Mohan Lal	Junior Assistant	31325/-
18.	Sh. Lok Raj	Junior Assistant	30365/-
19.	Sh. Balvinder	Junior Assistant	31205/-
20.	Sh. Naresh Kumar	Draughtsman (on deployment against the post of JE)	47985/-
21.	Smt. Bhanu Priya Sharma	Clerk on contract	7810/-
22.	Sh. Pritam Singh	Driver	36405/-
23.	Sh. Mohan Lal Verma	Driver	19325/-
24.	Sh. Naresh	Driver	9110/-
25.	Sh. Yash Pal	Peon	21095/-
26.	Sh. Sher Singh	Peon	25695/-
27.	Smt. Usha Negi	Peon	25795/-
28.	Sh. Balwant	Peon	17235/-
29.	Smt. Bhagwati	Peon	13715/-
30.	Sh. Des Raj	Chowkidar	21595/-

(XII) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans , proposed expenditure and reports on disbursements made

- SOE wise detail of budget allocated to this Directorate and actual expenditure incurred during the financial year 2014-15 is as under:-

				Rupees
Directorate of Urban Development Himachal Pradesh				
List of Excess & Surrender statement of various Heads of Accounts under Demand No. 28 & 32 for the year 2014-15				
S. N.	**Major/ Minor Head of Account**	**Approved outlay (2014-15)**	**Revised Budget (2014-15)**	**Actual Exp. For 2014-15**
	PLAN			
1	**2217-Urban development**			
	03-Dev. Of Small & Medium Town			
	192-Assistance to Municipal Councils			
	02-UIDSSMT(SOONA)(44-GIA)	298400000.00	0.00	0.00
	UIDSSMT-(C-80N)-44-GIA	0.00	0.00	0.00
	UIDSSMT(S-10N)-44-GIA	0.00	1303376.00	1303376.00
	193-Assistance to Nagar Panchyats			
	02-UIDSSMT(SOONA)	100000000.00	0.00	0.00
	UIDSSMT-(C-80N)-44-GIA	0.00	0.00	0.00
	UIDSSMT(S-10N)-44-GIA	0.00	0.00	0.00
2	**2217-Urban Development**			
	80-General			
	191-Assistance to Municipal Corporation			
	04-SJSRY(S-10N)(42-GIA)	700000.00	0.00	0.00
	04-SJSRY(C-90N)(42-GIA)	2500000.00	0.00	0.00
	05-RAY(44-CA)(SOONA)	160000000.00	0.00	0.00
	05-RAY-(C-80N)-44GIA	0.00	4977605.00	4977605.00
	05-RAY-(S-10N)-44GIA	0.00	826710.00	826710.00
	41-JNNURM(SOONA)(44-GIA)	30000000.00	0.00	0.00
	JNNURM-(C-90N)-44-GIA	0.00	707800000.00	707800000.00
	JNNURM-(S-10N)-44-GIA	0.00	0.00	0.00
	42-Misc grant	1000.00	0.00	0.00
	44-A.D.B.Asstt.SOON(42-GIA)	1000.00	0.00	0.00
	192-Assistance to Municipal Councils			
	04-SJSRY(S-10N)(42-GIA)	2995000.00	0.00	0.00
	04-SJSRY(C-90N)(42-GIA)	5000000.00	0.00	0.00
	09-IHSDP(SOONA)(44-GIA)	10000000.00	0.00	0.00
	IHSDP-(C-80N)-44-GIA	0.00	0.00	0.00
	IHSDP(S-10N)-44-GIA	0.00	0.00	0.00
	10- 13th F.C.	14854000.00	0.00	0.00
	11-A.D.B.Asstt.(42-GIA)	1000.00	0.00	0.00
	13-Grant for Estt. Of Modren Abattoirs-42-GIA	0.00	1523000.00	1523000.00
	Major/ Minor Head of Account	**Approved outlay(2014-15)**	**Total Budget for 2014-15**	**Actual Exp. For 2014-15**
	PLAN			
	193-Assistance to Nagar Panchyats		0	
	04-SJSRY(S-10N)(42-GIA)	100000.00	0.00	0.00
	04-SJSRY(C-90N)(42-GIA)	1000.00	0.00	0.00
	09- 13th F.C.	3846000.00	0.00	0.00
	10- RAY (SOONA)	0.00	0.00	0.00
	11-A.D.B.Asstt.(42-GIA)	1000.00	0.00	0.00
	12-Construction/Restoration-44-GIA	0.00	4000000.00	4000000.00

3	**4215- Capital outlay on Water Supply & Sanitation**			
	02- Sewerage &Sanitation			
	106-Sewerage Services			
	02-Drainage Sanitation &Sewerage Scheme(SOON)			
	37-Major Works(VOTED)	121100000.00	121100000.00	121100000.00
	37-Major works-(Charged)	0.00	0.00	0.00
4	**2215-watwer supply &sanitation**			
	02Sewerage & sanitation			
	105- Sanitation Services			
	04-Maintenance & repair			
	21-Maintenance	37400000.00	37400000.00	37400000.00
	70- Energy Charges	0.00	0.00	0.00
	Total Grant	**628400000.00**	**720430691.00**	**720430691.00**
	Total Sewerage	**158500000.00**	**158500000.00**	**158500000.00**
S. N.	**Major/ Minor Head of Account**	**Approved outlay (2014-15)**	**Total Budget for 2014-15**	**Actual Exp. For 2014-15**
	Demand No. 32 (SOON)			
5	**4215- Capital outlay on Sewerage & sanitation**			
	02-Sewerage & Sanitation.			
	789-SCSP.			
	02Drainage sanitation & sewerage scheme-SCSP. **(SOON) 37- Major Works**	108900000.00	108900000.00	108900000.00
	2215-water supply & sanitation			
	02-Sewerage & Sanitation.			
	789-SCSP.			
	02-Maintenance & repair			
	21- Maintenance (SOON)	12600000.00	12600000.00	12600000.00
	2217-Urban Development			
	04-Slum area Improvement			
	789- SCSP			
	05- 13th F.C.(SOON)(42)	6300000.00	0.00	0.00
	2217-Urban Development			
	04-Slum area Improvement			
	789- SCSP			
	06- JNNURM.(SOON)(42)	201600000.00	0.00	0.00
	06- JNNURM(C-90N)-44-GIA	0.00	201500000.00	201500000.00
	06- JNNURM.(S-10N)-44-GIA	0.00		0.00
	10-SJSRY (C-90N)	2500000.00		0.00
	10-SJSRY (S-10N)	1200000.00		0.00
	Total Grant	**211600000.00**	**201500000.00**	**201500000.00**
	Total Sewerage	**121500000.00**	**121500000.00**	**121500000.00**
	Grand Total (GIA) (28+32)	**840000000.00**	**921930691.00**	**921930691.00**
	Grand TotalSewerage (28+32)	**280000000.00**	**280000000.00**	**280000000.00**

List of Excess & Surrender statement of various Heads of Accounts under Demand No. 28 for the year 2014-15

S. N.	Major/ Minor Head of Account	Approved outlay (2014-15)	Total Budget for 2014-15	Actual Exp. For 2014-15
	NON PLAN			
6	**2217-Urban Development**			
	80-general			
	001-Direction&Administration			
	01-Directorate of Urban Ddevelopment			
	01-Salary	22319000.00	15683943.00	15683943.00
	02-Wages	79000.00	56400.00	56400.00
	03-Travel Expenses	200000.00	199923.00	199923.00
	05-Office Expenses	2724000	2723774.00	2723774.00
	06-Medical Expenses	392000	370376.00	370376.00
	07-RRT	208000	208000.00	208000.00
	10-Hospitality	0.00		0.00
	12-PSS	1000		0.00
	15-Training	1000.00		0.00
	27-Motor Vehicle Purchase	1000.00		0.00
	30-Motor vehicle	220000.00	217704.00	217704.00
	64-transfer Expenses	11000.00	4548.00	4548.00
	Sub Total:	**26156000.00**	**19464668.00**	**19464668.00**
S. N.	**Major/ Minor Head of Account**	**Approved outlay (2014-15)**	**Total Budget for 2014-15**	**Actual Exp. For 2014-15**
7	**2217-urban Development**			
	80-general			
	191-Assistance to Municipal Corp.			
	01-SFC grant (42-GIA)	178307000	178754000.00	178754000.00
	42-Misc grant	0.00		0.00
	43- 13th F.C. (44-GIA of Cap. Asstt.)	49916000.00	48549671.00	48549671.00
	192-Assistance to Municipal Councils			
	01-SFC grant (42-GIA)	429549000	456581500.00	456581500.00
	10- 13th F.C. (44-GIA of Cap.asstt.)	143172000.00	143241156.00	143241156.00
	12-SFC for creation/upgradation	20000000.00	20000000.00	20000000.00
	193-Assistance to Nagar panchyats			
	01-SFC grant (42-GIA)	95944000.00	68676500.00	68676500.00
	09-13th F.C. (44-GIA of Cap. Asstt.)	49212000.00	33458536.00	33458536.00
8	**2059-Public Works**			
	01- Office building			
	053-Maintance & Repair			
	95-maintance of Office building	1000.00		0.00
9	**3054-Roads and Bridges**			
	04-Distt and other roads			
	105-Maintance and repair			
	04-Maintance of ULBs roads.	60000000.00	60000000.00	60000000.00
	Total Dir.& Adm.	**26156000.00**	**19464668.00**	**19464668.00**
	Total S.F.C. grant.	**703800000.00**	**704012000.00**	**704012000.00**
	Total 13th F.c grant	**242300000.00**	**225249363.00**	**225249363.00**
	Total 2059 P.W.	**1000.00**	**0.00**	**0.00**
	Total 3054 R&B	**60000000.00**	**60000000.00**	**60000000.00**

List of Excess & Surrender statement of various Heads of Accounts under Demand No. 28 for the year 2014-15				
S. N.	Major/ Minor Head of Account	Approved outlay (2014-15)	Total Budget for 2014-15	Actual Exp. For 2014-15
10	**2235- Social Security and welfare**			
	60- Other Social Security and Welfare programme			
	200- Other Programmes			
	11-Reimbursement of Medical Exp. of Pensioners **(NON PLAN)**	715000.00	186967.00	186967.00

(xiii) The manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes

- Not applicable.

(xiv) Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it

- Not applicable

(xv) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.

- The Directorate has its website http://hp-ud@nic.in containing various information regarding this Directorate and its activities viz. organization structure, listing of ULBs, annual activities, functions, Status of various projects/schemes undertaken by the ULBs, budget, RTI info, pension scheme, municipal finance etc. The website is hosted and registered under NIC domain.

(xvi)The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including, the working hours of a library or reading room , if maintained for public use.

- The public can have information from this office from 10.00AM to 5.00 PM in 6 days a week except holidays.
- The public / citizens can access the Website of the Department to acquire the information regarding Directorate, ULBs and their various activities. The efforts are made to keep the website updated on quarterly basis.

(xvii)The designation and other particulars of the Public Information Officers.

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2005 का 22) की धारा 5 और 19 के अर्न्तगत शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा विभिन्न स्तरों पर निम्न प्राधिकारी नामोदृष्ट (designate) किये गये है :–

<u>सचिवालय स्तर परः</u>

अपील प्राधिकारी	:	अविरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव / सचिव शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
जन–सूचना अधिकारी	:	संयुक्त / उप–सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
सहायक जन– सूचना अधिकारी	:	अनुभाग अधिकारी/ अधीक्षक (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

<u>निदेशालय स्तर परः</u>

अपील प्राधिकारी	:	निदेशक , शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश ।
जन–सूचना अधिकारी	:	उप /संयुक्त/अतिरिक्त निदेशक (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश
सहायक जन– सूचना अधिकारी	:	अधिक्षक ग्रेड–।

नगर निगम स्तर परः

अपील प्राधिकारी	:	आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।
जन–सूचना अधिकारी	:	सहायक/संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, शिमला ।
सहायक जन– सूचना अधिकारी	:	अधिक्षक ग्रेड–। ;नचमतपदजमदकमदज ळमदमतंसद्ध

शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर ;डनदपबपचंसपजल स्मअमसद्ध :

अपील प्राधिकारी	:	सम्बन्धित सबडविजनल अधिकारी (सिविल) ।
जन–सूचना अधिकारी	:	कार्यकारी अधिकारी / सचिव ।
सहायक जन– सूचना अधिकारी	:	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) ।

;गअपपपद्ध व्जीमत पदवितउंजपवदरू

- मार्ग दर्शक (Facilitator) के रूप में केन्द्रीय /राज्य/स्वायत संस्थानों द्वारा प्रायोजित शहरी विकास योजनाओं का प्रारूपण तथा कार्यन्वयन ।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं :

क	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना / राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
ख	छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना (यू0आई0डी0एस0एम0टी0) ।
ग	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ति विकास योजना ;पैक्च्द्ध
घ	ज्वाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना ।
ड़	राजीव आवास योजना ।
च	स्वच्छ भारत मिशन (एस0 बी0 एम0)।

राज्य प्रायोजित योजनाएं :

क	शहरी क्षेत्रों में सडकों का रख'रखाव ।
ख	शहरी क्षेत्रों में मल निकासी योजना।

स्वायत संस्थान–प्रायोजित योजनाएंः

–शून्य–

केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाऐंः

शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में प्रमुख निम्न केन्दीय / राज्य प्रायोजित योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैः–

(क)	छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना (यू0आई0डी0एस0एम0टी0) ।
(ख)	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
(ग)	राजीव आवास योजना ।
(घ)	ज्वाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना ।

(ड)	शहरी क्षेत्रों में सडकों का रख'रखाव ।
(च)	शहरी क्षेत्रों में मल निकासी योजना।
(छ)	स्वच्छ भारत मिशन (एस0 बी0 एम0)।

♦ (क) **वित्तीय *वर्ष* 2006–07 से केन्द्र सरकार द्वारा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 ;न्प्क्ैैडज्द्ध नाम से नई योजना आरम्भ की गई इस योजना का मुख्य उदेश्य छोटे तथा मघ्यम श्रेणी के नगरों में सरंचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाना और स्थाई सार्वजनिक सम्पदा की उत्पति में सहायता कर शहरी स्थानीय निकाय की आय में बढौतरी करना है जिससे *शहरी स्थानीय* निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व शहरी स्थानीय निकाय में वित्तीय भागीदारी 80:10:10 की है और यह योजना राज्य के लिए बहुत लाभदायक है ।**

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतू वर्ष 2013–14 में निदेशालय शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश को नोडल एजैन्सी बनाया गया है । वित्तिय वर्ष 2014–15 में मु0 11248ण्95 लाख रू0 की धन राशि केन्द्र सरकार से व मु0 1423ण्21लाख रू0 राज्य सरकार से स्वीकृत हुई है । जिसका विवरण अनुबन्ध 'ख' **पर है। वर्ष 2014–15 में कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।**

♦ **(ख) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाः/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–** भारत सरकार द्वारा 30.11.1997 तक संचालित नेहरू रोजगार योजना, यू0बी0एस0पी0 तथा पी0एम0आई0यू0पी0ई0पी0 योजनाओं को एकीकृत कर 1.12.1997 से कुछ नये कार्यकलापों को शामिल करते हुए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आरम्भ की गई । इस योजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रा के निर्धन बेरोजगारों अथवा आंशिक बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यम अथवा मजदूरी रोजगार के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना और इस के साथ–साथ सामुदायिक सम्पतियों का सृजन करना भी है । यह योजना मुख्यतः निर्धन समुदाय को सशक्त बनाकर उन्हें नियोजन और अनुश्रवण की प्रक्रिया से जोडने के उददेश्य पर आधारित है । इस योजना में सामुदायिक विकास समिति (सी.डी.एस.) को केन्द्र बिन्दु मान कर उन्हीं के माध्यम से लाभार्थियों का चयन, परियोजना का चयन, प्रार्थना पत्रों को तैयार करना तथा वसूली का अनुसरण किया जा रहा है । इस योजना में निर्धन महिलाओं के समग्र एवं सर्वांगीण विकास एवं उनके सृदृढ़ीकरण करने हेतू सामाजिक सशक्तीकरण एवं महिला समूहों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है, साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विकलांगों के विकास के संबंध में भी विशेष बल दिया जाता है । इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण क्रमशः 90:10 मापदण्ड अनुसार निर्धारित किया गया है ।

वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मु0 6,04,45,000/– रू0 स्वीकृत किए गए है व इस योजना में निम्न लाभ सम्मिलित किए गएः–

(1) स्वयं सहायता समूह एवं शहरी स्तरीय संघ का गठनः– लाभार्थी परिवारों के स्वयं सहायता समूह का गठन उपयुक्त संस्थान के द्वारा उनका क्षमता विकास करके किया जाएगा जो कि इन समहों के साथ दो साल तक रहकर इन्हें सुचारू रूप से माह तक अपनी बचत करेगें एवं स्वयं सहायता समूह 6 माह तक अपनी बचत करेगें एवं उस बचत में से आपस में ऋण लेकर अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करेगें। उसके बाद इन समूहों को बैंक से जोड़ा जाएगा और 10,000/– रू0 इनको त्मअवसअपदह थ्नदक देकर समूह का क्षमता विकास किया जाएगा। वर्ष 2014–15 में नेहरू युवा केन्द्र की सहायता से 540 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

<u>(2) प्रशिक्षणः–</u> इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को उचित प्रशिक्षण पर प्रति लाभार्थी मु0 18,000/– रू0 तक व्यय किए जा सकते है। प्रशिक्षण

सिर्फ लाभार्थियों द्वारा चुने गए व्यवसाय के लिए और किसी प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा दिया जाएगा। वर्ष 2014–15 में 1,437 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(3) सफल प्रशिक्षण के उपरान्त व्यक्ति विशेष लाभार्थी को 2 लाख रू0 और स्वयं सहायता समूह को 10 लाख रू0 ऋण 7ः ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। वह महिला समूह जो अपने ऋण की किस्त समय पर जमा करवाएगा उसे ऋण पर मात्रा 4ः ब्याज देना होगा। सभी लाभार्थियों को कार्यकारी पूंजी हेतु क्रेडिट कार्ड देने का भी प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों को उचित तकनीकी एवं मार्केटिंग सहायता भी प्रदान की जाएगी।

<u>(4) रेहडी फडी लगाने वालों को सहायताः–</u> राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य रेहडी फडी वालों का सम्मानजनक एवं सुविधाजनक व्यवसाय प्रदान करना है जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम रेहडी फडी वालों का सर्वे करके उनका पंजीकरण किया जाएगा व हर फडी वालों को पहचान पत्रा दिए जाएगें। इस परियोजना का लाभ लेने हेतू सभी रेहडी फडी वालों का पंजीकरण अनिवार्य है। रेहडी फडी वालों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान कर आर्थिक सहायता दी जा सकती है। नगर पालिका/ परिषद् उपयुक्त स्थान का चयन करके ऐसी रेहडी मार्केट का निर्माण करेगें जिसमें पानी, ठोस कचरा प्रबन्धन, नालियां, स्ट्रीट लाइट और पार्किंग की सुविधा हो।

<u>(5) शहरी आवासहित लोगों के लिए आश्रयः–</u> शहरी आवासरहित लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 50 वर्ग फीट अथता 5 वर्ग मीटर की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पुराने रैन–बसेरों एवं पुराने भवनों का पुनः निर्माण भी किया जा सकता है।

- **(ग) <u>एकीकृत आवास एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम (आई0एच0एस0डी0पी0).</u>**

  यह योजना बाल्मिकी अम्बेदकर मलीन बस्ती आवास योजना ;ट।ऽ्ठ।ल्द्ध और राष्ट्रीय मलीन बस्ति विकास कार्यक्रम *(एन0एस0डी0पी0)* का मिश्रण है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 90:10 की भागीदारी है तथा प्रत्येक आवासीय ईकाई की अधिकतम लागत 90 हजार रू0 रखी गई है । इस योजना का मुख्य अभिप्राय मलीन बस्तियों में रहने वालों जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है या जो टूटे फूटे आश्रयों में रहते है के लिए पर्याप्त आश्रय उपलब्ध करवाना है । इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत मु0 524ण्12 लाख रूपये ‟नदकमतदंहंत को तथा मु0 369ण्33 लाख रूपये ‟तांहींज को जारी किए गए है । अब तक अनुमोदित प्रोजेक्टों का विवरण **अनुबन्ध "ग"** पर है ।

- **<u>(घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना :</u>** – माननीय प्रधान मंत्री जी ने 3 दिसम्बर,2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना की घोषणा की थी। इस योजना का लक्ष्य शहरों को एकीकृत रूप से विभिन्न मूलभूत संरचनाओं का विकास, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना तथा विभिन्न शहरी संस्थाओं को सशक्त करना एवं उनकी कार्यप्रमाणी में सुधार लाने हेतू शहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत केवल शिमला शहर को राजधानी होने के नाते शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वितीय भागीदारी भारत सरकार, राज्य सरकार व नगर निगम में क्रमशः 80:10:10ः की है। इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति मलनिकासी, पार्किंग, सुरंगें तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि के कार्य सम्मिलित हैं। अब तक अनुमोदित प्रोजेक्टों का विवरण **अनुबन्ध–'घ'** पर है।

(ड.) <u>जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढाने हेतू प्रशिक्षण कार्यक्रमः–</u>जवाहर नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत चुने हुए प्रतिनिधियो तथा शहरी निकायों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतू भारत सरकार ने

मु 4-0274 करोड़ का कार्यक्रम मंजूर किया है जिसमे से मु 2-0137 करोड़ की पहली क़िस्त की अदायगी इस विभाग dks izkIr gks चुकी हैSSssa इस योजना के अन्तर्गत आवासीय प्रशिक्षण] गैर आवासीय प्रशिक्षण] राज्य संसाधन केंद्र] शहर संसाधन केंद्र] राज्य स्तरीय कार्यशालाओं] देश में अध्ययन यात्रा व गरीबी प्रबंधन के लिए ई उपकरण के विकास और स्थापना इत्यादि करने का प्रावधान है

(च) राजीव आवास योजनाः– स्लमवासियों तथा शहरी गरीबों के लिये राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.) का उदेश्य निश्चित तरीके से मलीन बस्ती में रहने वालों की समस्याओं को हल करने हेतु राज्यों /संघ राज्य क्षेत्राों को प्रोत्साहित करके स्लम मुक्त भारत की स्थापना करना है ।

इसमें निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बहु– आयामी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है :–

मौजूदा स्लम क्षेत्र ा में रहने वालों को औपचारिक व्यवस्था के भीतर लाना और उन्हें इस काबिल बनाना कि वे शेष नगर की तरह ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सकें। औपचारिक व्यवस्था की उन असफलताओं को दूर करना जो स्लमों के निर्माण का कारण बनी है; और शहरी भूमि और आवास की कमी की समस्याओं को हल करना जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पंहुच से बाहर हुए है और जीविकापार्जन तथा रोजगार के अपने संसाधनों को बनाए रखने के उद्देश्य से वे विधितर उपायों का सहारा लेने के लिये मजबूर हुए हैं । राजीव आवास योजना के अन्तर्गत शिमला शहर के कृष्णा नगर बस्ती में 33.99 करोड़ रू0 की अनुमानित योजना केन्द्र सरकार ने स्वीकृत की है । वर्ष 2013 में प्रथम किस्त के रूप में1067.20 लाख रूपये की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई हैं।

(छ) शहरी क्षेत्राो में सडकों का रख–रखावः–वर्ष 2006–07 में यह योजना आरम्भ की गई थी क्योंकि शहरी क्षेत्राो में सडकों, गलियों तथा रास्तों का सही रख–रखाव अति आवश्यक है । इस वित्तीय वर्ष में सभी शहरी स्थानीय निकायों को सडकों, गलियों तथा रास्तों के रख–रखाव के लिए मु0 6.00 करोड रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किए गय हैं जिसका विवरण **(अनुबन्ध 'ड़')** पर है।

(ज) शहरी क्षेत्राो में मल निकासी योजना।

वर्ष 2008–2009 में शहरी क्षेत्राो में मल निकासी योजना सरकार द्वारा सिंचाई एवम् जन स्वास्थय विभाग से शहरी विकास विभाग को स्थानातरित की गई। Since the Urban Local Bodies are not having the technical know how about the sewerage Projects, therefore, the execution of Sewerage scheme are still with the I&PH Department. Hence, funds to the tune of Rs. 2800.00 Lac drawn and placed at the disposal of I&PH Deptt. and ULBs as detailed below:-

TOWN WISE RELEASE OF FUNDS to ULB's & IPH UNDER HEAD 4215 CAPITAL OUTLAY DEMAND No-28 & 32 for SEWERAGE SCHEMES IN THE Pradesh for the year 2014-15.

S. N.	NAME OF ULB	Amount Released
1	2	3
1	Sewerage Scheme, Municipal Corp. Shimla	116.84
2	Land Refrence cases Rel. to IPH	214.13
3	Sewerage Scheme, Theog	100.00
4	Sewerage Scheme Sunni	4.20
5	Sewerage scheme Kotkhai	70.98
6	Sewerage Scheme Narkanda	1.00

7	Sewerage Scheme, Rohroo	9.87
8	sewerage Scheme Chopal	0.10
9	Sewerage Scheme Solan	200.00
10	Sewerage Scheme Nalagarh	1.00
11	Baddi (BBNDA)	100.00
12	Sewerage Scheme Nahan	1.00
13	Sewerage Scheme Paonta	69.39
14	sewerage scheme Rajgarh	0.10
15	Sewerage Scheme, Kangra	0.88
16	Sewerage Scheme, Dharmshala	25.54
17	Sewerage Scheme, Nurpur	150.00
18	Sewerage Scheme, Nagrota	100.00
19	Sewerage Scheme, Dehra	25.00
20	Sewerage Scheme, Jawalamukhi	22.50
21	Sewerage Scheme, Mandi	6.63
22	Sewerage Scheme Sunder Nagar	100.00
23	Sewerage Scheme, Joginder Nagar	96.43
24	Sewerage Scheme, Sarkaghat	50.00
25	Sewerage Scheme Rewalsar	0.10
26	Sewerage Scheme Karsog	0.10
27	Sewerage Scheme, Bilaspur	0.10
28	Sewerage Scheme, Talai	0.10
29	Sewerage Scheme, Una	10.97
30	Sewerage Scheme, Gagret	0.10
31	sewerage scheme Daulatpur	0.10
32	Sewerage Scheme, Santokhgarh	150.00
33	Sewerage Scheme, Mehatpur	31.07
34	Sewerage Scheme, Hamirpur	100.00
35	Sewerage Scheme, Sujanpur	79.94
36	Sewerage Scheme, Nadaun	100.00
37	Sewerage Scheme, Kullu	150.00
38	Sewerage Scheme, Bhunter	150.00
39	Sewerage Scheme Banjar	0.10
40	Sewerage Scheme Chamba left out area	41.73
41	Sewerage Scheme, Dalhousie	10.00
42	Sewerage Scheme, Chowari	10.00
	Total	2300.00
1	**O&M under Demand No. 28 released to I&PH**	**374.00**
2	**O&M under Demand No. 32 released to I&PH**	**126.00**
	Total	**2800.00**

<u>एस0एफ0सी ग्रांट</u> :

शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जिसमें नागरिक सुविधाओं के लिए अनुदान, प्रत्यायोजित कार्यों, परिसम्पति के रखरखाव, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय, कार्यालय व्यय, आय और व्यय के बीच अन्तराल भरण अनुदान सम्मिलित है ।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में मु0 7040.12 लाख रूपये की राशि शहरी स्थानीय निकायों को जारी की गई है जिसका विवरण **अनुबन्ध "च"** पर है।

<u>टी.एफ.सी ग्रांट (13 वें वित्तायोग की ग्रांट):</u>

13वें वित्तायोग ने शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न नगरीय सुविधाओं हेतु मु0 22,52,49,363-00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। जिसका विवरण **अनुबन्ध ''छ'' पर है।**

<u>नगर पालिका कर्मचारियों को पैन्शन</u>

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवायें अधिनियम 1994 में नगरपालिका के 1.4.1992 से सेवा निवृत कर्मचारियों या सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को पैन्शन /सेवा निवृति के लाभ का प्रावधान किया गया है । हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगरपालिका सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाने के अपने आश्वासन को पूरा किया है । निदेशक, शहरी विकास हि0 प्र0 को पैंशन तथा ग्रैच्युटी प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है । 01.04.2014 से **31.03.2015** तक 98 **कर्मचारियों** के पक्ष में पैन्शन व ग्रैच्यूटी भुगतान के आदेश जारी किये गए तथा 43 **कर्मचारियों** के पक्ष मे कम्यूटेशन भुगतान के आदेश भी जारी किये गये हैं।

****